

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड जिला-बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 219 / 2001
संस्थान दिनांक 30.06.2001

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड,
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियोगी

विरुद्ध

रवजीलाल पिता सालकराम, आयु 52 वर्ष,
निवासी-सोसाड़ मोहल्ला, अंजड,
तहसील-अंजड, जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 09.04.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड द्वारा अपराध क्रमांक 178 / 1997 अंतर्गत धारा 409 भा.द.सं. में दिनांक 30.06.2001 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त रवजीलाल के विरुद्ध दिनांक 01.04.1993 से दिनांक 21.03.1994 के मध्य आदि जाति सेवा सहकारी समिति, ग्राम बोरलाय, तहसील बड़वानी के उचित मूल्य की सार्वजनिक दुकान में सहायक विक्रेता के पद पर लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए संस्था की कुल 85617=30 रुपये संस्था के खाते में जमा न कराते हुए स्वयं के उपयोग में ले लेने और इस प्रकार आपराधिक न्यास भंग कारित करने के संबंध में अभियुक्त रवजीलाल पर धारा 409 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी अभियुक्त को जानते हैं। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि कपड़ा दुकान में पेंट पीस, शर्ट पीस, साड़ी, धोती व चादर आदि रहते थे।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 29.08.1997 को थाना अंजड में शोभाराम पिता घीसाजी पटेल ने बाबुलाल पिता बालु निवासी बोरलाय के साथ उपस्थित होकर अभियुक्त के विरुद्ध यह लेखी रिपोर्ट प्रदर्शपी 1 की थाने पर पेश की थी कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बोरलाय म.प्र. सहकारी अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है और

उसका पंजीयन क्रमांक 708 दिनांक 31.10.1976 है जो समिति ग्राम बोरलाय में उचित मूल्य की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रित कपड़े को व्यवसाय करती है, जिसमें टावेल, बनियान, शर्ट फीट, बनी हुई शर्ट, धोती, चादर, शर्ट पीस, पेंट पीस शामिल है। उक्त समिति का क्षेत्रीय कार्यालय खरगोन जिले में है तथा बैंक अपने कार्यालय के माध्यम से संस्था का हित पोषण निरीक्षण पर्यवेक्षण अधिकारी करता है। अभियुक्त उक्त संस्था में दिनांक 01.01.1989 से उक्त पकड़ा दुकान में सहायक विक्रेता के पद पर कार्यरत था तथा अभियुक्त के जिम्मे उक्त संस्था की उचित मूल्य की दुकान का माल नियंत्रित कपड़ा विक्रय करना, माल का स्टॉक रजिस्टर में इंड्राज करना, स्टॉक रजिस्टर रखना, बिल बुक और रसीद रखने का कार्य था। सहायक विक्रेता को उक्त दुकान की बिक्री की रकम समिति प्रबंधक को जमा कराना भी पड़ती थी तथा सहायक विक्रेता म.प्र. सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 87 के अंतर्गत लोक सेवक की श्रेणी में आता है। उक्त दुकान का निरीक्षक द्वारा संस्था के प्रबंधक एवं विक्रेता अभियुक्त के समक्ष दिनांक 04.05.1994 से दिनांक 05.06.1994 तक भौतिक सत्यापन करने पर यह पाया गया कि दिनांक 01.04.93 से 31.03.94 तक कुल कपड़ा रुपये 98292.60 रुपये का उक्त समयावधि में विक्रय किया गया है तथा भौतिक सत्यापन में यह मालूम हुआ कि दिनांक 01.04.93 को कपड़े का कोई स्टॉक रुपये 3,03,430=45 का था। दिनांक 01.04.93 से दिनांक 31.03.94 तक रुपये 14519=80 के वस्त्रों की दुकान पर खरीदी की गई, इस प्रकार उक्त समयावधि में कुल स्टॉक रुपये 317950=25 रुपये का रहा होकर उक्त एक वर्ष की समयावधिक तक कुल बिक्री रुपये 98293=60 की गई, जिसमें क्रय मूल्य के मान से बिक्री रुपये 92374=50 हैं तथा संस्था का कमिशन रुपये 5919=10 कुल बिक्री में सम्मिलित है, लेकिन कुल स्टॉक उक्त दुकान में से क्रय मूल्य बिक्री कम करते हुए दिनांक 31.03.94 पर रुपये 225575=75 का स्टॉक होना चाहिए था, लेकिन भौतिक सत्यापन से कपड़े का कुल स्टॉक रुपये 144397=79 पैसे पाया गया। इस तरह से रुपये 81177=96 का क्रय मूल्य से कम पाई गई एवं संस्था का कमिशन विक्रय मूल्य से रुपये 4439=78 कम पाया जाकर कुल राशि रुपये 85617=74 का अभियुक्त द्वारा गबन करना पाया गया। भौतिक सत्यापन से संबंधित कागजातों की फोटोकॉपी रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है। इस तरह अभियुक्त ने रुपये 85517=74 पैसे की अफरा-तफरी करके संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाई है। स्टॉक के भौतिक सत्यापन के समय सहकारिता निरीक्षक के साथ समिति के प्रबंधक और अभियुक्त भी उपस्थित थे। भौतिक सत्यापन में उक्त दस्तावेजों पर सहकारिता निरीक्षक के साथ प्रबंधक एवं अभियुक्त ने भी अपने हस्ताक्षर किये। अभियुक्त को संस्था की गबन की गई उक्त राशि संस्था में जमा करा देने को कहा गया किन्तु अभियुक्त ने जमा कराने का कहते हुए भी संस्था में जमा नहीं कराई तथा मिथ्या आश्वासन देता रहा। उक्त धोखाधड़ी का अपराध दिनांक 01.04.93 से 31.03.94 के मध्य हुआ है। अभियुक्त की नियुक्ति बोरलाय की समिति में

कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 13.03.77 को प्रस्ताव क्रमांक 19 द्वारा भृत्य के पद पर दिनांक 18.03.77 से की गई थी उसके बाद दिनांक 12.02.82 को संस्था के संचालक मण्डल की बैठक में प्रस्ताव क्रमांक 11 द्वारा दिनांक 01.04.82 से अभियुक्त को सहायक विक्रेता के पद पर नियुक्त किया गया। इसी प्रकार अभियुक्त दिनांक 01.01.89 से उक्त दुकान पर विक्रेता का कार्य करने लगा और अभियुक्त ने संस्था की कपड़ा दुकान का रुपये 85617=74 का गबन किया है जो भा.द.स. की धारा 409 का अपराध है। फरियादी शोभाराम पिता घीसाजी अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की। उक्त लेखी रिपोर्ट प्रदर्शपी 1 के आधार पर अभियुक्त रवजीलाल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 178/1997 अंतर्गत धारा 409 भा.द.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 10 लेखबद्ध की। पुलिस ने साक्षियों के समक्ष प्रदर्शपी 3, 4 व 6 व 9 के अनुसार दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ जप्त की थी। पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त रवजीलाल को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 11 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान फरियादी जगदीश पिता घीसाजी, साक्षीगण कैलाशचन्द्र, बाबूलाल, शब्बीर, सुरेशचन्द्र गुप्ता, बद्रीलाल एवं जे.एस. शर्मा के कथन लेखबद्ध किये गये तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री अरुण कुमार वर्मा, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्त रवजीलाल के विरुद्ध धारा 409 भा.द.स. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय यह है कि —

क्या अभियुक्त ने दिनांक 01.04.1993 से दिनांक 21.03.1994 के मध्य आदि जाति सेवा सहकारी समिति, ग्राम बोरलाय तहसील बड़वानी के उचित मूल्य की सार्वजनिक दुकान में सहायक विक्रेता के पद पर लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए संस्था की कुल 85617=30 रुपये संस्था के खाते में जमा न कराते हुए स्वयं के उपयोग में ले लेने और इस प्रकार आपराधिक न्यासभंग कारित किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में फरियादी शोभाराम (अ.सा.1), कैलाशचन्द्र बिल्लौरे (अ.सा.2), जगदीश (अ.सा.3), बाबुसिंग (अ.सा.4), रणछोड़ (अ.सा.5), भोलू (अ.सा.6), मन्नालाल (अ.सा.7), परसराम (अ.सा.8), बद्रीलाल (अ.सा.9), सुरेशचन्द्र (अ.सा.10), यशपालसिंह ठाकुर (अ.सा.11), शिवकुमार यादव (अ.सा.12), मगन (अ.सा.13), आशाराम वर्मा (अ.सा.14), सुखदेव (अ.सा.15), रमेशसिंह चौहान (अ.सा.16), चम्पालाल (अ.सा.17), सहायक उपनिरीक्षक आर.एल.गाढे (अ.सा.18), सहायक उपनिरीक्षक एम.ए. कुरैशी (अ.सा.19) तथा सहायक उपनिरीक्षक के.ए. शेख (अ.सा.20) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी शोभाराम (अ.सा.1) ने अपने कथन में बताया कि अभियुक्त उनके समय आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बोरलाय मे सेल्स मेन था और वह उक्त समिति का अध्यक्ष था। कंट्रोल के कपड़े एवं बिना कंट्रोल के कपड़े की राशि सत्यापन में कम पाई गई थी, कितने कपड़े की राशि कम पाई गई थी, उसे आज ध्यान नहीं हैं, यह बात वर्ष 1994 की है। सूचना प्राप्त होने पर बोर्ड समिति की मितिंग हुई, जिसमें अभियुक्त को समय दिया गया था कि वह कम पाई गई राशि जमा कर दे लेकिन अभियुक्त ने दिये गये समय में पैसा जमा नहीं किया तो उसने अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंजड़ में प्रदर्शपी 1 की लेखी रिपोर्ट की थी जिसके ए से ए एवं बी से बी एवं सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त जिस दुकान पर बैठता था उसका सत्यापन एवं वार्षिक निरीक्षण तत्कालीन आडिटर श्री जी.एल. शर्मा ने किया था, जो बिक्री की राशि प्राप्त होने वाली थी उससे कम राशि सत्यापन में पाई गई वह पैसा संस्था का था।

8. अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह कक्षा 4 थी तक पढ़ा है। प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट उसने टाईप नहीं करवाई थी, वह रिपोर्ट प्रबंधक जगदीश भावसार ने कराई थी। साक्षी ने फिर कहा था कि बद्री मुकाती उस समय प्रबंधक थे उस समय उन्होंने रिपोर्ट टाईप कराई थी प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट कहा पर टाईप कराई थी उसे नहीं पता। उक्त रिपोर्ट अंजड़ थाने पर उसके बोलने पर टाईप की गई थी। पुलिस ने उक्त रिपोर्ट पर जहाँ जहाँ हस्ताक्षर करने को कहा था तो उसने वहाँ-वहाँ तीन जगह हस्ताक्षर कर दिये थे। जिस समय रिपोर्ट टाईप कराई गई थी उस समय उसके साथ बद्री एवं जगदीश भी थे। इसलिए उसने ऊपर उनके द्वारा रिपोर्ट करवाने की बात बताई थी। रिपोर्ट टाईप कराते समय प्रबंधक और संचालक नहीं बोले थे, परन्तु उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की थी। ऐसा नहीं हुआ कि प्रदर्शपी 1

की रिपोर्ट प्रबंधक और संचालक थाने पर पहले से ही टाईप करवा कर लाये हो। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रबंधक हर माह समिति को चेक करते हैं। समिति का स्टॉक एवं बैलेंस भी हर माह चेक नहीं होता है, वर्ष में 1 बार होता है। साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया हर माह मैनेजर द्वारा समिति का बैलेंस और स्टॉक चेक करने का नियम है या नहीं। उसके द्वारा समिति का हिसाब-किताब कभी भी जॉचा नहीं गया। उसने समिति की सिल्लक के संबंध में कभी भी जानकारी लेने की कोशिश नहीं की क्योंकि यह जवाबदारी मैनेजर की होती है, उसकी नहीं थी। समिति की जो भी आय होती थी उसकी रकम मैनेजर के पास कभी किसी दिन दो-चार दिन में आती थी। किस तारीख में कितने रुपये कम आये उसने इस संबंध में रिकार्ड देखा था, किन्तु तारीख आज याद नहीं है। उसने रिकार्ड का सत्यापन करते समय ही देखा था, उसके बाद में नहीं देखा था। जिस अधिकारी ने सत्यापन किया था, उनका नाम याद नहीं है, क्योंकि अधिकारी बदलते रहते हैं। अभियुक्त को रुपये जमा कराने की मोहलत दी थी और उसकी बैठक के संबंध में वह कोई भी दस्तावेज लेकर नहीं आया। उक्त प्रस्ताव के संबंध में दस्तावेज शायद पुलिस ने जप्त किये होंगे। साक्षी ने यह याद होने से इंकार किया कि वह समिति में अध्यक्ष के पद पर कब से कम तक रहा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट थाने पर देने के बाद पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की। वह अभियुक्त को घटना के समय और उससे पहले समिति के समय से सेल्समेन के रूप में पहचानता था। जिस अधिकारी ने संस्था के रिकार्ड का सत्यापन किया था उसके द्वारा मैनेजर को संस्था का रूपया कम होना बताया था। उसी आधार पर उसे संस्था का रूपया कम होना पता चला था। उसने सिल्लक कम होने के संबंध में समिति का रिकार्ड नहीं देखा था, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया था कि सत्यापन की रिपोर्ट देखी थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि आडिटर समिति की हर 15 दिन में जॉच करता था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि वर्षभर में जॉच करता था। साक्षी ने यह जानकारी होने से भी इंकार किया कि जब प्रबंधक के पास समिति का रूपया जमा होता था उस दिन वह समिति का स्टॉक व बकाया धनराशि को चेक करता था। प्रबंधक के पास पैसा जमा होने पर वह उक्त पैसा केसबुक में लिखकर बैंक में जमा करता है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट समिति के अधिकारी टाईप करवाकर लाये थे और उसने थाने पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या रिपोर्ट की है या वह असत्य कथन कर रहा है।

9. बद्रीलाल अ.सा. 9 का कथन है कि अभियुक्त ग्राम बोरलाय की कपड़ा दुकान जो आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित की थी, पर पूर्व से सेल्समेन था। उसकी नियुक्ति बोरलाय दुकान पर दिनांक 03.12.93 से प्रबंधक के रूप में थी। आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था द्वारा संचालित दुकानों का भौतिक सत्यापन मार्च के माह में सुपरवाईजर, प्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारी बाहर से आने पर करते थे तथा भौतिक सत्यापन में कपड़ा दुकान में कितना

माल आया और कितना बिका है तथा कितना बचा है कि जाँच होती है। सेल्समेन का कार्य माल बुलाना, स्टॉक रखना, बैचना और उसका हिसाब-किताब रखना होता है। अभियुक्त के कार्यकाल में किये गये भौतिक सत्यापन में लगभग 85 हजार रुपये का कपड़ा कम पाया गया। सोसायटी के स्टॉक के रजिस्टर के हिसाब में इतना कपड़ा बचा होना चाहिए था, वास्तव में उतना कपड़ा नहीं पाया गया था। सत्यापन उसने सुपरवाइजर शब्बीर कुरैशी, हस्ताक्षर निरीक्षक धनश्याम शर्मा ने किये थे। 85 हजार रुपये का कपड़ा कम पाये जाने की शिकायत उनके द्वारा ब्रांच बड़वानी को की थी एवं वरिष्ठ कार्यालय खरगोन को की थी। भौतिक सत्यापन में जितनी राशि का कपड़ा पाया था वह समिति का था, अभियुक्त का नहीं था। समिति के पैसे का अभियुक्त ने अपने लिये उपयोग किया था।

10. अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि इस प्रकरण में उसे भी अभियुक्त बनाया था और उसकी बड़वानी न्यायालय से जमानत हुई थी। उसे विभाग द्वारा निलंबित किया गया था और विभागीय जाँच हुई थी। उसकी वेतनवृद्धि रोककर उसे पुनः बहाल कर दिया गया लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि विभाग ने उसके विरुद्ध पुलिस का केस वापस ले लिया था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसकी विभागीय जाँच पहले ही हो गई थी और पुलिस प्रकरण बाद में पेश हुआ था। साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया कि शब्बीर कुरैशी को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है या नहीं। साक्षी ने स्वीकार किया कि जब समिति में कपड़ा कम पाया गया उस समय वह वही पर प्रबंधक के पद पर पदस्थ था। प्रबंधक का काम ऋण देने का और वसूली का होता है तथा वर्षभर में एक बार जाँच करने का होता है। समिति में कपड़े की बहुत सारी वैरायटी रहती है। इसलिए उसको दो-चार माह में चेक करना संभव नहीं होता है। इसलिए वर्षभर में एकबार जाँच करते हैं। दुकान में विक्रय किये गये कपड़े की राशि प्रतिदिन जमा हो जाती थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि जो कपड़े कम पाये गये वो उसने ही कम किये थे अथवा वह जिनके साथ मिलकर सत्यापन करना बता रहा है, वह अधिकारी भी उसके साथ मिले हुए थे। साक्षी ने सड़ सुझाव से इंकार किया कि उसने कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया था अथवा उसने व कुरैशी ने खुद को बचाने के लिए अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या प्रकरण तैयार किया था अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

11. बाबुसिंह अ.सा.4 ने भी अभियुक्त को बोरलाय समिति में 10-15-20 वर्ष पूर्व सेल्समेन होने और स्वयं को समिति का संचालक होने के संबंध में कथन किये हैं साक्षी का यह भी कथन है कि समिति का सत्यापन होता था, लेकिन वर्ष में कितनी बार होता था उसे नहीं मालूम। उसे तो केवल माह में दो बार बुलाया था। आडिट निगम साहब ने किया था उमसे कितने रूपयों का अंतर आया था उसे नहीं मालूम। सेल्समेन दिनभर दुकानों में कपड़ा विक्रय कर उसका पैसा शाम को जमा करता था और रसीद प्राप्त करता था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि सेल्समेन द्वारा कपड़ा विक्रय कर जो

राशि प्राप्त होती थी उसका इंद्राज दुकान पर किया जाता था। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि दिनांक 01.04.93 से लेकर 31.03.94 तक बोरलाय समिति का भौतिक सत्यापन मैनेजर पर्यवेक्षक और निरीक्षक द्वारा किया गया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उक्त निरीक्षण में रुपये 85617=74/- पैसे का कपड़ा कम पाया था और उक्त रूपयों का गबन अभियुक्त ने किया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्शनी 6 का कथन दिया था अथवा वह अभियुक्त को फसाने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

12. कैलाशचन्द्र बिल्लौर अ.सा. 2 ने भी वर्ष 1993 में सेवा सहकारी संस्था बोरलाय में अभियुक्त के सेल्समेन के पद पर होने तथा सहकारिता निरीक्षक जी.एस. शर्मा, प्रबंधक ब्रदीलाल मुकाती तथा पर्यवेक्षक शब्बीर कुरेशी द्वारा बोरलाय संस्था का वार्षिक निरीक्षण करने के संबंध में कथन किये हैं, लेकिन साक्षियों ने उक्त निरीक्षण में क्या कमियाँ पाई गई, इसकी जानकारी होने से इंकार किया। इस साक्षी को भी पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त की दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर रुपये 85617=74 का सामान कम पाया गया था, और अभियुक्त ने उक्त धनराशि का गबन किया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उक्त भौतिक सत्यापन उसके सामने हुआ था। यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शनी 2 का कथन देने से भी इंकार किया है।

13. सुरेशचन्द्र अ.सा. 10 ने दिनांक 02.07.93 से लेकर नवम्बर 1993 तक बोरलाय की समिति पर प्रबंधक के पद पर होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि दुकान का सेल्समेन अभियुक्त था, जो कपड़ा दुकान का हिसाब-किताब, सामान व कपड़ा रखता था तथा समिति की दुकान का भौतिक सत्यापन वर्ष में एक बार मार्च में होता था, उसके कार्यकाल में अभियुक्त की कपड़ा दुकान का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ था। अभियोजन की ओर से साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया कि उसके जाने के बाद बोरलाय की कपड़ा दुकान का भौतिक सत्यापन सहकारिता निरीक्षक जी.एस. शर्मा तथा प्रबंधक ब्रदीलाल तथा सुपरवाइजर शब्बीर द्वारा करने पर 85 हजार रुपये का कपड़ा कम पाया गया। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शनी 8 के कथन में भी उक्त बातें बातने से स्पष्ट इंकार किया है।

14. जगदीश अ.सा. 3 ने आदिम जाति सहकारी संस्था बोरलाय का रिकार्ड पुलिस को देने तथा संस्था के 5-6 रजिस्टर, बिल बुक अभियुक्त का नियुक्ति पत्र पुलिस को प्रदर्शनी 3 एवं 4 के पंचनामों से जप्त कराने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने पुलिस को अभियुक्त का सेल्समेन की नियुक्ति का प्रमाण पत्र प्रदर्शनी 5 का दिया था जिसके ए से ए

भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त ने वर्ष 1996 में लगभग रुपये 89,000/- का गबन किया था। अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त को 1994 में सेल्समेन होना बताया है उस समय वह बोरलाय संस्था में कार्यरत नहीं था। वह तलवाड़ा बुजुर्ग में कार्यरत था। दुकान में एक ही सेल्समेन काम करता है। वह मनिया को पहचानता है। उसने गबन की बात अभिलेख के आधार पर बताई है, उसके सामने कोई आडिट नहीं किया गया था एवं आडिट के समय वह उपस्थित नहीं था, इसलिए नहीं बता सकता कि किन व्यक्तियों ने आडिट किया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह बद्री मुकाती को जानता है जो उसकी जाति का है लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि मनिया भी उक्त समिति में कार्य करता था या बद्री मुकाती ने गबन किया था अथवा बद्री मुकाती उसकी जाति का है इसलिए वह असत्य कथन कर रहा है।

15. यशपालसिंह ठाकुर अ.सा.11 ने निंक 24.11.98 को थाना अंजड़ में राधेश्याम पाटीदार द्वारा आकर आदिम जाति सहकारी समिति बोरलाय के दिनांक 01.04.93 से लेकर 31.03.94 तक के गबन की राशि रुपये 85617=74 के भौतिक सत्यापन की फोटोकॉपी प्रदर्शपी 1 के अनुसार जप्त कराने और जप्त पंचनामा प्रदर्शपी 9 का उसके द्वारा बनाये जाने के संबंध में कथन किये हैं।

16. गोंविंद अ.सा.5, भोलूजी अ.सा. 6, मन्नालाल अ.सा. 7, परसराम अ.सा. 8 ने पुलिस थाना अंजड़ में सहकारी समिति बोरलाय से रेकार्ड जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं तथा जप्ती पंचनामें प्रदर्शपी 3, 4 और 7 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। आर.एल.गोड़े अ.सा. 18 ने भी दिनांक 24.12.98 को थाना अंजड़ में राधेश्याम पाटीदार के पेश करने पर पेज क्रमांक 1 से 10 के भौतिक सत्यापन की छायाप्रति जिसमें दिनांक 1.4.93 से लेकर 31.3.94 तक गबन की राशि रुपये 85617/- अंकित होने और उसे प्रदर्शपी 9 के अनुसार जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने जप्तशुदा दस्तावेजों को नहीं पढ़ा है। के.एस. शेख अ.सा. 20 ने भी थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 178/97 में थाना प्रभारी व्ही.एस. ठाकुर द्वारा राधेश्याम पाटीदार के पेश करने पर प्रदर्शपी 9 के जप्ती पंचनामें के अनुसार दस्तावेजों की छायाप्रति जप्त करने के संबंध में और उसके सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके सामने केवल फोटोप्रतियाँ जप्त की गई थी, असल रिकार्ड जप्त नहीं किया गया था।

17. शिव कुमार अ.सा. 12, अशोक अ.सा. 13 परसराम शर्मा द्वारा थाने पर दस्तोवज जप्त कराने के साक्षीगण हैं, लेकिन शिव कुमार यादव अ.सा. 12 ने प्रदर्शपी 7 के पंचनामें अनुसार पुलिस को दस्तावेज जप्त कराने से इंकार किया है यहाँ तक कि साक्षी ने प्रदर्शपी 7 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने से भी इंकार किया है। अशोक अ.सा. 13 ने भी प्रदर्शपी 7 की जप्ती की

कार्यवाही अपने सामने होने से स्पष्ट इंकार किया है। उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह याद होने से इंकार किया कि आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था बोरलाय की आडिट रिपोर्ट एवं सुझाव प्रतिवेदन की प्रतिलिपि क्रमांक 1 से 12 एवं सहायक पंजीयक सहकारी समिति जिला खरगोन के आदेश दिनांक 28.03.94 की प्रतिलिपि की फोटोप्रति, ऑडिट रिपोर्ट पेज नम्बर 1 से 12 एवं पत्र क्रमांक 445/खरगोन दिनांक 26.09.94 की छायाप्रति एवं फौ.मु.नं. 709/95 की फोटोप्रति उसके सामने जप्त हुई थी या नहीं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त से मिलकर उसे बचाने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

18. सुखेदव अ.सा. 15 ने भी उसके सामने प्रदर्शपी 3 के अनुसार जप्ती होने से इंकार किया है। उक्त साक्षी को भी पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने जाने पर साक्षी ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है। यहाँ तक कि साक्षी ने अभियुक्त को पहचानने से भी इंकार किया है।

19. रमेशचन्द्र अ.सा.16, एम.ए. कुरेशी अ.सा. 19 ने अभियुक्त को उनके सामने अभियुक्त को थाने पर गिरफ्तार कर और गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्शपी 11 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।

20. चम्पालाल अ.सा. 17 ने दिनांक 28.03.94 को सहकारिता विभाग खरगोन में अंकेक्षक अधिकारी के पद पर पदस्थ होने तथा कार्यालय के पत्र क्रमांक 94/133 दिनांक 28.03.94 के आदेश द्वारा आदेश से जी.एस. शर्मा सहाकरिता निरीक्षक जिला खरगोन को आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित बोरलाय तथा अन्य स्थानों पर भौतिक सत्यापन करने हेतु आदेशित करने के संबंध में कथन किया है। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने उक्त आदेश उप पंजीयक सहकारी संस्था के आदेश के अनुपालन में किया था, उसके द्वारा दिये गये आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्शपी 12 है। उसने दिनांक 26.09.94 को कार्यालय के पत्र क्रमांक 747 द्वारा अनिल निगम उप अंकेक्षक को वर्ष 1993-94 का अंकेक्षण करने हेतु ग्राम बोरलाय और अन्य संस्थाओं को ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया था जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्शपी 13 है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया था और सहकारी संस्था बोरलाय के किसी अभिलेख का निरीक्षण भी नहीं किया था।

21. आशाराम वर्मा अ.सा. 14 का कथन है कि दिनांक 21.08.97 को शोभाराम पिता घिसिया पटेल ने अभियुक्त के विरुद्ध एक लेखी शिकायत प्रदर्शपी 1 की दी थी, उसके द्वारा साक्षी जगदीश, शोभाराम, जे.एस.शर्मा के कथन उनके बताये अनुसार लिये थे तथा जाँच के बाद उसके द्वारा थाने पर अपराध क्रमांक 178/97 अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज किया था जो प्रदर्शपी 10 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने दिनांक 11.11.97 को आदिम

जाति सेवा सहकारी समिति, बोरलाय को जगदीश पिता घिसिया से प्रदर्शपी 3 के अनुसार दस्तोवज जप्त किये थे, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने दिनांक 01.09.97 को थाना अंजड़ में जगदीश के पेश करने पर प्रदर्शपी 4 के जप्ती पंचनामें अनुसार दस्तावेज जप्त किये थे जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने दिनांक 14.05.98 को परसराम शर्मा द्वारा थाने पर अंजड़ पर पेश करने पर प्रदर्शपी 7 के अनुसार दस्तावेज जप्त किये थे तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

22. अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि लेखी रिपोर्ट दिनांक 31.08.97 को दी थी और उक्त रिपोर्ट के आखिरी में दिनांक 27.4.94 और दिनांक 30.7.94 लिखा हुआ है उक्त रिपोर्ट उसे थाने पर रात्रि 9 बजे प्राप्त हुई थी और उसने उसी वक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। उसने प्रदर्शपी 10 की रिपोर्ट पर शोभाराम के हस्ताक्षर नहीं करवाये थे, क्योंकि शोभाराम ने लिखित रिपोर्ट दी थी और उसकी प्राप्ति उसने शोभाराम को दी थी। उसने शोभाराम से इस संबंध में कोई पूछताछ नहीं की थी। लेखी रिपोर्ट प्रदर्शपी 1 में नीचे दो अलग-अलग दिनांक क्यों लिखी है। उसने शोभाराम ने इस बात का भी कोई कारण नहीं पूछा कि वर्ष 1994 की लिखित रिपोर्ट दिनांक 31.08.97 को विलंब से क्यों पेश की, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रदर्शपी 1 की लिखित रिपोर्ट थाने पर टाईप हुई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि शोभाराम ने उसे यह नहीं बताया था कि लिखित रिपोर्ट थाने पर टाईप हुई थी, लेकिन साक्षी ने इस इस सुझाव से इंकार किया कि उसने फरियादी एवं साक्षियों के कोई कथन लेखबद्ध किये थे अथवा उसने गलत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है या गलत जप्ती की है।

23. इस प्रकरण में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बोरलाय से जप्त किये गये दस्तावेजों को परीक्षण के लिए पुलिस मुख्यालय भोपाल भेजा गया है, जिसकी जाँच रिपोर्ट अभियोजन की ओर से प्रकरण में पेश की गई है तथा प्रकरण में जप्त किये गये दस्तावेजों पर अभियुक्त की लिखावट होना राज्य हस्तलेख विशेषज्ञ पुलिस मुख्यालय भोपाल के परीक्षक ने पाया है तथा उक्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त का अतिरिक्त परीक्षण द.प्र.स. की धारा 313 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा किया गया, जिसमें अभियुक्त ने यह स्वीकार किया कि उसने साक्षी बद्रीलाल मुकाती के कहने पर उक्त हस्ताक्षर किये थे। बद्रीलाल मुकाती ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पूर्व में उसे भी इस प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया था और विभाग द्वारा उसे निलंबित किया गया था और विभागीय जाँच भी की गई थी। उल्लेखनीय यह भी है कि उक्त साक्षी बद्रीलाल अ.सा. 9 ने उक्त सहकारी समिति में घटना के समय प्रबंधक था और अभियुक्त को उसके अधीनस्थ सेल्समेन के पद पर कार्यरत होना अभियोजन ने बताया है, लेकिन जिस धनराशि का आपराधिक दुर्विनियोग अभियुक्त द्वारा करना बताया गया है उस

संबंध में असल दस्तावेज अभियोजन की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तो शोभाराम अ.सा.1 ने इस घटना की रिपोर्ट लेखी में थाना अंजड़ में स्वयं के हस्ताक्षर से देना बताया है, लेकिन इस रिपोर्ट को उसने जगदीश भावसार द्वारा टंकित करना बताया है और थाने पर टाईप करवाना भी बताया है, लेकिन जगदीश अ.सा. 3 का यह कथन नहीं है कि उसके द्वारा शोभाराम अ.सा. 1 से उक्त रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। जगदीश अ.सा. 3 ने अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह घटना के समय बोरलाय की समिति में कार्यरत नहीं था। उसके सामने कोई भी आडिट की कार्यवाही नहीं की गई थी। लेखी रिपोर्ट प्रदर्शपी 1 में रिपोर्ट लिखाने की दिनांक पृष्ठ क्रमांक 3 पर 27.04.1994 एवं दिनांक 30.07.1994 लिखी है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शपी 10 में प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक 21.08.1997 लिखी है। इस प्रकार उक्त लेखी रिपोर्ट प्रदर्शपी 1 तथा थाने पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शपी 10 है जिसमें लगभग 3 वर्ष का विलंब है, जिसका कोई भी स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से नहीं दिया गया है। अभियुक्त ने इस प्रकार सेल्समेन के पद पर कार्यरत रहते हुए शासकीय धनराशि का दुर्विनियोग किया, इस संबंध में अभियोजन साक्षियों के कथन में गंभीर विरोधाभास है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकारस्पद हो जाती है और उक्त संदेह का लाभ अभियुक्त पाने का अधिकारी प्रतीत होता है।

24. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त रवजीलाल के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त रवजीलाल को संदेह का लाभ देते हुए धारा 409 अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

25. प्रकरण में जप्त दस्तावेजों की छायाप्रति आदिम जाति सहकारी सेवा समिति बोरलाय को अपील अवधि पश्चात् वापस की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला—बड़वानी, म0प्र0

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला—बड़वानी, म0प्र0